

न्यायालय:—माखनलाल झोड़, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय—बैहर

आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक /08/2018

Filing No. CRR/182/2018

संस्थित दिनांक— 06.02.2018

CNR-MP50050002612018

धरमदास वाधवा पिता स्वर्गीय कृपालदास वाधवा उम्र 40 वर्ष
निवासी—मोहगांव थाना मलाजखण्ड तहसील बिरसा
जिला बालाघाट

— — — पुनरीक्षणकर्ता

// विरुद्ध //

मध्यप्रदेश शासन द्वारा— पुलिस थाना मलाजखण्ड
तहसील बिरसा जिला बालाघाट

— — — गैरपुनरीक्षणकर्ता

न्यायालय: श्री दिलीप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैहर समरी प्रकरण
क्रमांक 82/2018 शासन बनाम सलकू धुर्वे में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पेश आवेदन
अंतर्गत धारा 451 द.प्र.सं. से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका पेश की है।

श्री राजा चौधरी अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता।
श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते गैरपुनरीक्षणकर्ता।

— / / / आदेश / / / —

(आज दिनांक **12 फरवरी 2018** को पारित)

1— पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण धारा 397 द0प्र0सं0 के अंधीन
न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा समरी प्रकरण
क्रमांक 82/2018 में पुलिस थाना मलाजखण्ड के इस्तगासा क्रमांक 53/2018 में

सुनवाई करते हुए दिनांक 05.02.2018 को पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन अंतर्गत धारा 451 द.प्र. सं. को निरस्त किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।

2— पुनरीक्षणकर्ता के विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 451 द.प्र.सं. का सार यह है आवेदक के वाहन क्रमांक एम.पी. 50 एच. 5634 को थाना मलाजखण्ड के द्वारा इस्तगासा क्रमांक 53/2018 धारा 113/194 (1), 66/192(क), 39/192 (1) (क) मोटरयान अधिनियम के अधीन रेत सहित जप्त किया गया है। आवेदक की आजीविका का एकमात्र साधन उक्त वाहन है। व्यवय करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन अतिरिक्त दिन खड़े रहने पर मशीनरी खराब होने की संभावना है। न्यायालय द्वारा आदेशित शर्तों का अक्षरशः पालन करेगा।

3— पुनरीक्षणकर्ता के अपील का आधार यह है कि थाना मलाजखण्ड द्वारा धारा 113/194 (1), 66/192(क), 39/192 (1) (क) मोटरयान अधिनियम के अधीन इस्तगासा पेश किया है जिसमें पुनरीक्षणकर्ता का चार पहिया वाहन डम्पर हाईवा पंजीयन क्रमांक एम. पी. 50 एच. 5634 को पुलिस द्वारा जप्त किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन अंतर्गत धारा 451 द.प्र.सं. का अधिनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर विधिक त्रुटि की है, पुनरीक्षणकर्ता के पास विधिवत रूप से रेत परिवहन की रायल्टी थी, कि तथ्यों की ओर ध्यान न देकर आवेदन निरस्त कर त्रुटि की है, जप्तशुदा वाहन थाना मलाजखण्ड द्वारा किस अपराध के तहत जप्त किया गया है, विचारण न्यायालय ने सुपुर्दनामा आदेश दिनांक 05.02.18 में उल्लेख नहीं किया है, पुनरीक्षणकर्ता उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है, संपूर्ण असल दस्तावेज संलग्न है, खनिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुपुर्दनामा आवेदन निरस्त कर विधिक त्रुटि की है, आदेश अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और विधि के अधीन है। पुनरीक्षण स्वीकार कर आदेश दिनांक 05.02.2018 को निरस्त जप्तशुदा वाहन डम्पर हाईवा एम.पी. 50 एच. 5634 को सुपुर्दनामे पर दिए जाने की याचना की है।

4— उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। अधनीस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5— पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री राजा चौधरी अधिवक्ता ने जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी. 50 एच. 5634 का असल रजिस्ट्रेशन/स्मार्ट कार्ड जो आर.टी.ओ. कार्यालय बालाघाट द्वारा जारी होकर कार्ड क्रमांक 5311917025991349 है, अवलोकन हेतु पेश किया। जिसके अनुसार उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी वाधवा ट्रेडर्स के नाम दर्ज होकर प्रो-प्राईटर धरमदास वाधवा वार्ड नंबर 4 मोहगांव बैहर जिला बालाघाट दर्ज है। इसी कार्ड में टैक्स आजीवन लेख है। उक्त वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट दिनांक 31.01.2018 से दिनांक 30.01.2020 तक की अवधि के लिए जारी है। माल अनुज्ञा पत्र में उक्त नम्बर पर दर्ज उक्त वाहन स्वामी का उल्लेख करते हुए भार क्षमता 16.835 किलोग्राम अर्थात् 16 टन, 08 क्विंटल, 35 किलोग्राम है। लदान रहित उक्त वाहन का भार 08 टन, 01 क्विंटल, 65 किलोग्राम है तथा भरे हुए वाहन का भार 25 टन का है, अवलोकन किया गया।

6— उक्त वाहन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी शाखा कार्यालय स्टेशन रोड बालाघाट से बीमित है। बीमा पॉलिसी में भी सी.सी.-जी.व्ही.डब्ल्यू.-25,000 लेख है अर्थात् भार क्षमता के साथ बीमित है। इस दस्तावेज के अनुसार घटना के समय बीमा शर्त का उल्लंघन भी दृष्टिगोचर हो रहा है।

7— इस्तगासा के साथ ई-खनिज इलैक्ट्रानिक ट्रांजिट पास संलग्न है जिसमें वाहन के विवरण के साथ खनिज की क्षमता 14 क्युबिक मीटर = 882.76 क्युबिक फिट = 24.14 मीट्रिक टन क्षमता भरी होना लेख है, किंतु तौल पच्ची में 37 टन 470 किलोग्राम वजन प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट है कि माल अनुज्ञा पत्र के अनुसार मात्र 16.835 किलोग्राम अर्थात् 16 टन, 08 क्विंटल, 35 किलोग्राम ही रेत खदान पर इस वाहन में रेत भरा जाना चाहिए था किंतु 24.140 मीट्रिक टन भार की रेत भरी जाना लेख है, किंतु परिवादी पुलिस थाना के द्वारा वजन कराने पर 37 टन 470 किलोग्राम कुल भार प्राप्त हुआ है।

8— 37 टन 470 किलोग्राम में से सकलयान वाहन का वजन 25 टन अनुज्ञा अनुसार है तब 12 टन 470 किलोग्राम अधिक माल/रेत भरा गया है जो कुल भरण के 75 प्रतिशत अतिरिक्त है। ई-खनिज ने 24.140 टन रेत भरना लेख किया है। लदान रहित उक्त वाहन का भार 08 टन, 01 क्विंटल, 65 किलोग्राम है। खाली वाहन का भार घटाने पर 29 टन 305 किलोग्राम रेत भार पर्ची के अनुसार पायी गई है जो 24.140 टन से 5 टन, 165 किलोग्राम अतिरिक्त है। यह लदान अभियुक्त सुकलू द्वारा कहाँ से किया गया, के बारे में स्थिति मौन है, किंतु यह अभिलेख के अनुसार स्पष्ट है कि खदान ठेकेदार के द्वारा ई-खनिज की जारी टी.पी. में लदान की मात्रा कम बताकर वास्तविक मात्रा ज्यादा भरी गई है। इस अपराध में खनिज ठेकेदार भी समान रूप से उत्तरदायी है कि वाहन की भार क्षमता की सीमा से अधिक मात्रा की रेत भरने के लिए इलैक्ट्रानिक टी.पी. जारी की गई है और जारी की गई टी.पी. से अधिक मात्रा वाहन में जप्त करते समय उपलब्ध है। खनिज अधिनियम एवं लाईसेंस का उल्लंघन है।

9— वाहन की भार क्षमता से अधिक मात्रा में परिवहन कराने के लिए वाहन स्वामी भी समान रूप से मोटरयान अधिनियम की धारा 113 उपधारा 4 के अधीन उल्लंघन होने की विधिक उपधारणा है, के लिए धारा 194 (1) की विधिक मंशानुसार अर्थदण्ड अदायगी हेतु वाहन चालक एवं वाहन में रेत भरने वाले व्यक्ति या संस्था के साथ वाहन स्वामी भी दायित्वाधीन है, किंतु इस मामले में केवल चालक के विरुद्ध मामला पेश किया है।

10— पुनरीक्षणयाचिका में जप्तशुदा वाहन डम्पर हाईवा पंजीयन क्रमांक एम.पी. 50 एच. 5634 को सुपुर्दनामे पर चाहा गया है। पेश याचिका अधोलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जाती है :—

अ— वाहन स्वामी पुनरीक्षणकर्ता स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर धारा 113 उपधारा 4 मोटरयान अधिनियम सहपठित धारा 194 (1) मोटरयान अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भार क्षमता का अर्थदण्ड जमा करेगा।

ब— यदि पुनरीक्षणकर्ता पुनः रेत ढोने के व्यवसाय में अपने वाहन को लगाता है तो 16 टन से अधिक मात्रा को भरवाकर परिवहन नहीं करेगा।

स— घनमीटर के आधार पर भार रहित वाहन के वजन में कितने घनमीटर रेत भरने पर अधिकतम भार 25 टन हो, का प्रमाण-पत्र अपने वाहन में शासकीय अधिकारियों के अवलोकन हेतु साथ रखेगा, की शर्तों का पालन सुनिश्चित करे तो **20,00,000/- (बीस लाख रुपये)** का सुपुर्दनामा विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य पेश करने पर जप्तशुदा वाहन डम्फर हाईवा एम.पी. 50 एच. 5634 वाहन स्वामी/पुनरीक्षणकर्ता को सुपुर्दगी पर प्रदान करने हेतु सुपुर्दगी आदेश जारी हो।

11— आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न कर पालनार्थ प्रेषित की जावे।

12— पुनरीक्षण पंजी से निरस्त हो, नतीजा पंजी में दर्ज हो, अभिलेख, अभिलेखागार में जमा हो।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

सही /—
(माखनलाल झोड़)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही /—
(माखनलाल झोड़)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

प्रतिलिपि:— न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर की ओर मूल अभिलेख के साथ आदेश की एक प्रति सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।

(माखनलाल झोड़)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर